



झाँसी पुलिस



प्रेस नोट

थाना कोतवाली, जनपद झाँसी

दिनांक: 17.10.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 12 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। घटना से संबंधित आलाकत्ल (हसिया) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.10.2026 को थाना कोतवाली पर श्रीमती गीताबाई कहार पत्नी प्रेमलाल (निवासी: इतबारा बाजार पानी की टंकी के पीछे, राजीव वार्ड, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश) द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री दीपमाला की पहली शादी स्व. सुरेश कहार के साथ हुई थी, जिनकी मृत्यु 14.01.2026 को हो गई थी। इसके पश्चात दीपमाला, सुरेश के साथ काम करने वाले लालाराम आदिवासी पुत्र कल्लू आदिवासी (निवासी: नयाखेड़ा बड़ेरा, थाना बबीना, झाँसी) के साथ रहने लगी थी। दिनांक 15.10.2026 को छोटू राय द्वारा वादिनी को सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त लालाराम द्वारा दीपमाला के सिर में चोट पहुँचाकर उसे छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी गई है। मृतका के साथ पूर्व में भी मारपीट की जाती थी।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 302/2026, धारा 103(1) बी.एन.एस. (BNS) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती प्रीति सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में हत्या की घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी एवं खोजबीन, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त लालाराम आदिवासी उपरोक्त को आलाकत्ल एक अदद हसिया के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/आलाकत्ल बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त लालाराम आदिवासी पुत्र कल्लू आदिवासी, नि० नया खेड़ा बड़ेरा, थाना बबीना, जनपद झाँसी, उम्र 32 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं व मेरी पत्नी दीपमाला, छोटू राय के यहाँ मजदूरी करते थे। दिनांक 14/10/2026 को मैं अपनी पत्नी के साथ ट्रैक्टर पर ईंट लेकर जा रहा था, तो पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और मेरे साथ गाली-गलौज एवं बदतमीजी करने लगी। तो मैंने कहा कि शाम को मजदूरी का पैसा मिलने पर शराब खरीदकर लाऊँगा, तब शराब पी लेना।

मैंने शाम को 4 पाउच लाए। मैं तथा मेरी पत्नी ने प्याज के साथ 2-2 पाउच लिए। मैं हसिया से दोबारा प्याज काटने लगा, तब तक मेरी पत्नी लेट गई। मैंने उसे उठाया तो वह गाली देने लगी तथा मुझसे बदतमीजी करने लगी। मैंने मना किया, तो भी नहीं मानी। मुझे गुस्सा आ गया, तो पास में रखे हुए हसिया से मारा, जो पत्नी के सिर पर लग गया। जिसके बाद वह मुझसे उलझने लगी, तो मैंने उसको धक्का दे दिया और मैं शराब के नशे में था, तो वहीं पर लेटकर सो गया।

जब सुबह मेरी नींद खुली, तो देखा कि मेरी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने हसिया को छत से लाकर झाड़ियों में छिपा दिया था। उसके बाद मैंने अरुण से कहा कि मेरी पत्नी छत से गिरने से मर गई है, अंदर करवा दो। तो अरुण की मदद से अपनी पत्नी को अंदर रखवा दिया। उसके बाद मालिक छोटू राय के पास जाकर बताया कि मेरी पत्नी ऊपर चली गई है। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। मुझसे शराब के नशे में गलती हो गई है, माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

लालाराम आदिवासी पुत्र कल्लू आदिवासी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी: नयाखेड़ा बड़ेरा, थाना बबीना, झाँसी

बरामदगी का विवरण:

1- अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त हसिया (आलाकत्ल) अभियुक्त की निशादेही पर बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरी० श्री अंजन कुमार सिंह थाना कोतवाली झाँसी,।
2. उ०नि० श्री अमित तोमर चौकी प्रभारी उन्नाव गेट थाना कोतवाली झाँसी।
3. हे०का० पुष्पेन्द्र सिंह थाना कोतवाली झाँसी
4. रि०का० अमन प्रताप सिंह थाना कोतवाली झाँसी
5. रि०का० अर्पित मिश्रा थाना कोतवाली झाँसी